

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-प.2(1458)डीओआईटी/संस्था/13/I/9543/2013

जयपुर, दिनांक 22.07.13

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल V के अनुसार सूचना सहायक पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 9) ग्रेड पे-2400 में मूल देय वेतन 9840 (7440/- + ग्रेड पे 2400) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुभाष चन्द	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	17.02.2011	16.02.2013	17.02.2013
2	श्री राजेश मीणा	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	21.02.2011	17.04.2013	18.04.2013
3	श्री करणी सिंह चौहान	कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलकटर मुद्रांक, वृत्त, उदयपुर	17.02.2011	16.02.2013	17.02.2013
4	श्रीमती विद्या जीनगर	जिला कलक्टर, राजसमन्द कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द	17.02.2011	16.02.2013	17.02.2013

सारणी में क्रम सं. 2 पर अंकित श्री राजेश मीणा, सूचना सहायक द्वारा 90 दिवस से अधिक उपभोग किये गये असाधारण अवकाश 56 दिवस (दिनांक 05.07.2011 से 29.08.2011 तक) के लिए श्री मीणा के परीवीक्षाकाल में एतद् द्वारा में वृद्धि (दिनांक 17.04.2013 तक) की गई थी जो दिनांक 17.04.2013 को पूर्ण हो गई हैं।

उपरोक्त सूचना सहायकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्सम्बन्धी इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त सूचना सहायकों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2014 रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd—

(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. उभाई आधिकारी वेबसाइट, सूचना डी. और संचार विभाग।

(संजय ज. कर्णिक)
कार्यालयाध्यक्ष